



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16062021-227645
CG-DL-E-16062021-227645

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2177]

नई दिल्ली, बुधवार, जून 16, 2021/ज्येष्ठ 26, 1943

No. 2177]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 16, 2021/JYAISHTHA 26, 1943

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 जून, 2021

का.आ. 2341(अ).—केंद्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, १९५६ (१९५६ का ४८) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा ३ की उपधारा (१) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ.१९१२(अ), तारीख १७ जून २०२० जो भारत के राजपत्र असाधारण, भाग II, खण्ड ३, उपखण्ड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा महाराष्ट्र राज्य के अमरावती जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या ३५३ के कि.मी. ०/००० से कि.मी. १६/००० (अमरावती नांदगावपेठ मोर्शी) तक के भूखण्ड में निर्माण (चौड़ा, चार/दो लेन का बनाने, आदि) अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए लोक प्रयोजन के लिए वह अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा ३ क की उपधारा (३) के अधीन तारीख “०८/०७/२०२० और ०८/०७/२०२०” को “दैनिक नवभारत अमरावती” और “युवा मंच अमरावती” दोनों में प्रकाशित किया गया था;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा ३घ की उपधारा (१) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (१) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा ३घ की उपधारा (२) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य के अमरावती जिले मे राष्ट्रीय राजमार्ग अमरावती नांदगाव पेठ- मोर्शी संख्या ३५३ के कि.मी. ०.०० से १६.०० कि.मी के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

राज्य का नाम: महाराष्ट्र			जिले का नाम: अमरावती		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: अमरावती				
	गांव का नाम: माहुली जहागीर				
1	235	निजी	अकृषिक	0.0035	मारोती महादेव भुंबर, किरणबाई रामदास भुंबर, रणजीत रामदास भुंबर, आकाश रामदास भुंबर, दीपा रामदास भुंबर (२३५)
2	9/1	निजी	कृषिक	0.0233	शामसुंदर पांडुरंगजी यावले , राजाभाऊ पांडुरंगजी यावले (९/१)
			कुल	0.0268	

[फा. सं. RW/NH-12014/74/2016/MAH-P6/3D]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th June, 2021

S.O. 2341(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, S.O.no.1912 (E), Dated 17 June 2020, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, Sub section (ii) issued under sub-section (I) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for construction (widening/four/two laning with paved shoulder, etc), maintenance, management or operation of National Highway No.353 k on the stretch of land from km 0/00 to 16/00 (Amravati-

Nandgaon Peth-Morshi) in the district of Amravati in the state of Maharashtra, hereby declare its intention to acquire such land.

And whereas the substance of the said notification has been published in “Dainik Navbharat Amravati ” and “Yuva manch Amravati” both dated 08/07/2020 And 08/07/2020 under sub section (3) of the section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the Competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further ,in pursuance of sub section (2) of section 3D of the said Act ,the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the official Gazette ,the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired with or without structure falling the stretch of land for widening/Four Laning etc. from Amravati-NandgaonPeth-Morshi Section I (km 0/00 to 16/00) of NH 353K in District Amravati in the State of Maharashtra.

State: MAHARASHTRA			District: AMRAVATI		
Sl. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Amravati				
	Village: Mahuli Jahagir				
1	235	Private	Non Agriculture	0.0035	Maroti mahadev Bhumber, Kiranbai Ramdas Bhumber,Ranjit Ramdas Bhumber,Akash Ramdas Bhumber, Dipa Ramdas Bhumber 235
2	9/1	Private	Agriculture	0.0233	Shyamsundar Pandurangaji Yawale, Rajabhau Pandurangji Yawale 9/1
			TOTAL	0.0268	

[F. No. RW/NH-12014/74/2016/MAH-P6/3D]

RAJESH GUPTA, Director